

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 11/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/20

अनवान

1. भंवरलाल पुत्र अमरा बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बद्रीलाल पुत्र अमरा बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्तिलाल पुत्र अमरा बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नाथी पुत्री अमरा बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगु पुत्र हुक्मा (मृतक लाऔलाद फोट) जरिये भाई भैरु पुत्र हुक्मा बैरवा नि.मोखमपुरा तह.रायपुर
2. ज्वाहरमल पिता सवाईराम बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 से 2 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:- 4/12/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आवादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1880 रकबा 0.01 है 0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1913/1881 रकबा 0.04 है 0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 है 0 भूमि खाता संख्या 164 पर दर्ज रेकार्ड है।
2. इसी प्रकार प्रार्थीगण राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला में स्थित आराजी संख्या 1876 रकबा 0.45 है 0, आराजी संख्या 1877 रकबा 0.34 है 0, आराजी संख्या 1882 रकबा 0.16 है 0, आराजी संख्या 1883 रकबा 0.43 है 0, आराजी संख्या 1884 रकबा 0.78 है 0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.16 है 0 भूमि खाता संख्या 162 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाव में मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व गवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने



सहायक कमिश्नर  
(राजस्व, जे.) रायपुर



अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

**::- आदेश -::**

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के वैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1880 रकबा 0.01 है 0 गै.मु. आबा, आराजी संख्या 1913/1881 रकबा 0.04 है 0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 है 0 भूमि खाता संख्या 164 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थीगण राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला में स्थित आराजी संख्या 1876 रकबा 0.45 है 0, आराजी संख्या 1877 रकबा 0.34 है 0, आराजी संख्या 1882 रकबा 0.16 है 0, आराजी संख्या 1883 रकबा 0.43 है 0, आराजी संख्या 1884 रकबा 0.78 है 0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.16 है 0 भूमि खाता संख्या 162 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। उक्त भूमि पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशमलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर (परा.डी.जो.) रायपुर



आदेश आज दिनांक 4/12/25 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर (परा.डी.जो.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 11/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/20

अनवान

1. भंवरलाल पुत्र अमरा बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बद्रीलाल पुत्र अमरा बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्तिलाल पुत्र अमरा बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नाथी पुत्री अमरा बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगु पुत्र हुक्मा (मृतक लाओलाद फोट) जरिये भाई भैरु पुत्र हुक्मा बैरवा नि.मोखमपुरा तह.रायपुर
2. ज्वाहरमल पिता सवाईराम बैरवा निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

दिनांक:- 4/12/2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 04.12.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1880 रकबा 0.01 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1913/1881 रकबा 0.04 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि खाता संख्या 164 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थीगण राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला में स्थित आराजी संख्या 1876 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1877 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 1882 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1883 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 1884 रकबा 0.78 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि खाता संख्या 162 पर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 4/12/2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाड़ोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर (रा.प.) भीलवाड़ा